P. No. - (3)

राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 103 / कोटा 1998-99

यह प्रमाणित किया जाता है कि कैरियर पाइन्ट एज्यूकेशन सोसायटी [illegible] जिला-कोटा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 [राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958] के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 25 माह सितम्बर सन् एक हजार नौ सौ अट्ठानवे को कोटा में दिया गया है।

TRUE COPY

Original of [illegible] before me

रजिस्ट्रार
संस्थाएं कोटा (राज.)
संस्थाएं कोटा (राजस्थान)

For Career Point Education Society
Secretary

For Career Point Education Society
Secretary

PRINCIPAL
CAREER POINT GURUKUL

नाम संस्था : केरियर पाइन्ट एजूकेशन सोसाइटी

1. संस्था का नाम : केरियर पाइन्ट एजूकेशन सोसाईटी है तथा रहेगा।

2. संस्था का पंजीकृत कार्यालय : 112 शक्ति नगर, कोटा तथा इसका कार्यक्षेत्र कोटा जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

(1) विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, वैज्ञानिक प्रयोगशाला शोध केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय, उच्च तकनीकी शिक्षा की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग केन्द्र तथा/या अन्य समकक्ष धर्मार्थ संस्थाओं की स्थापना, उनके विकास और उन्हें चलाने के लिए, जिनका उद्देश्य केवल शिक्षा है, जिसमें नैतिक शिक्षा भी सम्मिलित है। यह आम जनता के उपयोग और उनकी भलाई के लिए है।

(2) शैक्षणिक और शोध के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं की स्थापना, उन्हें चलाने और उनकी अनुदानिक मदद के लिए, शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं साहित्य, कला, विज्ञान, वाणिज्य, तकनीकी, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अभियांत्रिकी, चिकित्सा के क्षेत्र में शोध तथा कई अन्य परोपकारी कार्यों हेतु अनुदानिक संस्थाएँ और समितियाँ खोलने, गठित करने, उन्हें प्रतिस्थापित कर उनकी मदद करना है।

(3) शिक्षण उद्देश्य से छात्रवृत्ति, ऋण, शोध या भ्रमण अनुदान तथा अन्य प्रकार के अनुदान प्रदान करने हेतु तथा शैक्षणिक किताबें, नैतिक शिक्षा की पुस्तकें और साहित्यों का प्रकाशन एवं गरीब और योग्य छात्रों में उनका निःशुल्क वितरण सम्मिलित है, जिसका उद्देश्य उन्हें व्यवसाय और शिक्षा तथा मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, एवं प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन और शोध कार्य में प्रोत्साहन देना है।

(4) आम जनता के प्रयोग में आने वाले छात्रावास, निवास स्थल, रहने और भोजन आदि करने के स्थान, पार्क, उद्यान, व्यायामशाला, खेलकूद केन्द्र की स्थापना, रखरखाव और उनकी सहायता के लिये अनुदान राशि प्रदान करने हेतु है।

(5) भारत में सामान्य शिक्षा, चिकित्सा, नैतिकशिक्षा, तकनीकी–शिक्षा, छात्रों हेतु निःशुल्क छात्रावासों का संचालन करने वाले या भविष्य में स्थापित होने वाले महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिणिक संस्थाओं, शोध केन्द्रो की प्रगति हेतु, अनुदान एवं मदद प्रदान करना है।

नोट :- उक्त उद्देश्यों में संस्था का आर्थिक लाभ निहित नहीं है।

For Career Point Education Society

Secretary

For Career Point Education Society

अध्यक्ष

Secretary

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

PRINCIPAL
CAREER POINT GURUKUL

संघ विधान

4- सदस्यता :—

निम्नलिखित योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे —

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हों।
3. पागल दिवालिया न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों तथा संस्था में आस्था रखते हों।
5. संस्था के हितों को सर्वोपरि समझते हों।

5- निर्योग्यता :—

इसी प्रकार की संस्था में पूर्व में चले आ रहे कोई भी व्यक्ति किसी अन्य संस्था का सदस्य है तो वह इस संस्था का सदस्य नहीं बन सकता है।

6- सदस्यों का वर्गीकरण :—

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत किये जा सकेंगे।

(1) संरक्षक (2) विशिष्ठ (3) सम्मानीय (4) साधारण

7- सदस्यों द्वारा प्रदत्त चन्दा तथा शुल्क :—

उपनियम संख्या 4 में वर्णित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार का चन्दा देय होगा।

(1) संरक्षक राशि —	51,000/-	आजन्म
(2) सम्मानीय राशि —	31,000/-	आजन्म
(3) विशिष्ठ राशि —	11,000/-	आजन्म
(4) साधारण राशि —	5,001/-	आजन्म

उक्त राशि एक मुश्त जमा करवाई जा सकेगी।

8- सदस्यता से निष्कासन :—

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार से किया जा सकेगा :

(1) मृत्यु होने पर।
(2) त्याग पत्र देने पर।
(3) संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
(4) प्रबन्ध कारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

9- साधारण सभा :—

संस्था के उपनियम संख्या 6 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलाकर साधारण सभा का निर्णय करेंगे।

TRUE COPY
Original of which produced before me
ZAMIRUDDIN ASLAM
NOTARY, (Central) KOTA

10- साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :—

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।

(1) प्रबन्ध कार्यकारिणी का चुनाव।
(2) वार्षिक बजट पारित करना।
(3) प्रबन्ध कारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा तथा पुष्टि करना।
(4) संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना तथा रजिस्ट्रार कार्यालय में फाइल जमा कराई जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू करना।
(5) आडिट पर विचार करना।

For Career Point Education Society
Secretary

PRINCIPAL
CAREER POINT GURUKUL

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

11- साधारण सभा की बैठक :

साधारण सभा की बैठकें निम्न प्रकार बुलाई जावेगी।

(1) साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी।

(2) साधारण सभा का कौरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा।

(3) बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी।

(4) कोरम के अभाव में बैठकें स्थगित की जा सकेगी और पुनः सात दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठकों में कौरम की भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पूर्व ऐजेन्डा में थे।

(5) संस्था के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित आवेदन करने पर अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा एक माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त अवधि में इन सदस्यों का निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होगा।

12- संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जावेगा। जिसके पदाधिकारी तथा सदस्य निम्न प्रकार होगें :-

(1) अध्यक्ष	-	एक	(2) उपाध्यक्ष	-	एक
(3) मन्त्री	-	एक	(4) उपमन्त्री	-	एक
(5) कोषाध्यक्ष	-	एक	(6) सदस्य	-	दो

इस प्रकार प्रबन्ध कारिणी में पदाधिकारी 5 सदस्य 2 कुल 7 सदस्य होगें।

13- कार्यकारिणी का निर्वाचन :-

(1) संस्था की प्रबन्ध कारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

(2) चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

(3) चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्ध कारिणी द्वारा की जावेगी।

14- कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य होगें :-

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे।

(1) सदस्य बनाना, निष्कासित करना।

(2) वार्षिक बजट तैयार करना।

(3) संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

(4) साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्विति करना।

(5) वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्ता आदि का निर्धारण करना।

(6) कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

(7) अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना।

NOTARY, (Central), KOTA

For Career Point Education Society

Secretary

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

15- कार्यकारिणी की बैठकें :–

(1) कार्यकारिणी की बैठकें निम्न लिखितानुसार बुलाई जा सकेगी। कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बेठक बुलाई जा सकेगी।

(2) बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के 1/2 से अधिक होगा।

(3) बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिवगन से कम समय में भी दी जा सकती है।

(4) कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पूर्व एजेन्डा में थे प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस बेठक की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

16- प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य :–

प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होगें।

(1) अध्यक्ष

1- बैठकों की अध्यक्षता।

2- बैठकें आहूत करना।

3- मत बराबर आने पर संस्था का प्रतिनिधित्व करना

4- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

6- अन्य कार्य।

(2) उपाध्यक्ष

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।

(3) मन्त्री

1- बैठकें आहूत करना।

2- आय व्यय पर नियन्त्रण करना।

3- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पारित करना।

5- संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

(4) उपमन्त्री :–

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्यों का संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

For Career Point Education Society

Secretary

TRUE COPY

Original of which produced before me

ZAHIRUDDIN ASLAM

NOTARY, (Central) KOTA

अध्यक्ष

मन्त्री

Principal

CAREER POINT GURUKUL

(5) कोषाध्यक्ष

1- वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

17- संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

(1) चन्दा (2) शुल्क (3) अनुदान

(4) सहायता (5) राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार के संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से लेन–देन सम्भव होगा।

18- कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :–

संस्था के हितों में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकार कर सकेगें।

(1) अध्यक्ष एक लाख रूपये (2) मन्त्री पिचहत्तर हजार रूपये

(3) कोषाध्यक्ष पचास हजार रूपये

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जावेगा।

19- संस्था का अंकेक्षण :–

संस्था के समस्त लेखों – जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा।

20- संस्था का विधान :–

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन/परिवर्द्धन या संशोधन किया जा सकेगा। जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

21- संस्था का विघटन :–

यदि आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1857 की धारा 13 तथा 14 के अनुरूप होगी।

22- संस्था के लेखे जोखे :–

रजिस्ट्रार महोदय संस्थाऐं कोटा अथवा उनके प्रतिनिधि को संस्था के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा तथा उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संस्था विधान/पत्र एवं विधान (नियमावली) केरियर पाइन्ट एजुकेशन सोसाइटी की सही तथा सच्ची प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष Secretary मन्त्री कोषाध्यक्ष

कैरियर पांइन्ट एजुकेशन सोसाईटी

112, शक्ति नगर, कोटा, राजस्थान 324009
(पंजीयन क्रमांक 103/ कोटा/ 1998–99)

दिनांक 25/02/2014

विधान में संशोधन परिवर्तन व परिवर्द्धन का तुलनात्मक विवरण

1 संस्था के संघ विधान पत्र एवं विधान नियमावली की उपधारा 2 में संस्था के के कार्यक्षेत्र में निम्न संशोधन किये गये है :–

क्रम संख्या	पूर्व प्रावधान	संशोधन पश्चात प्रावधान
1.	संस्था का कार्यक्षेत्र कोटा जिला क्षेत्र तक सिमित होगा ।	संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान है तथा रहेगा ।

हम संस्था के अधिकृत पदाधिकारीगण प्रमाणित करते है कि उक्त संशोधन संस्था की आम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से पारित हो गये है ।

CAREER POINT EDUCATION SOCIETY
अध्यक्ष
(एस.सी.पंड्या) Secretary

CAREER POINT EDUCATION SOCIETY
सचिव President/Secretary
(मनीष गुप्ता)

CAREER POINT EDUCATION SOCIETY
कोषाध्यक्ष
(दुर्गाशंकर माहेश्वरी)

राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा ... प्रमाणित किया जाता है कि ... किये गये, जो ... तक ... प्रमाणित प्रति ... देने की तारीख ...
रजिस्ट्रार संस्थायें, कोटा

For Career Point Education Society
Secretary

PRINCIPAL
CAREER POINT GURUKUL